झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्र सं०–08 / ज०सं०(नि०) राँची–02 / 2011 ..... / राँची, दिनांक .....

आदेश

श्री हृदय नारायण सिंह, तदेन कार्यपालक अभियंता (याँत्रिक) सिंचाई याँत्रिक प्रमण्डल, राँची सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं०–1637 दिनांक– 14.03.2013 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम –43बी के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। निम्न आरोप प्रतिवेदित है :–

आरोप सं०– 01

सुरंगी जलाशय योजना के गेट निर्माण कार्य रू० 28.24154 लाख रूपये के एकरारनामा के विरूद्ध कार्य कराया गया। एकरारनामा के अनुसार संवेदक को तीन साल तक गेटों का सम्पोषण (Maintenance) भी करता था। दिनांक– 09.01.2008 को अन्तिम रूप से भुगतान किये जाने के मात्र एक माह बारह दिन (43 दिन) के पश्चात् गेटों के अवयवों की चोरी।

आरोप सं०– 02

चोरी की घटना के करीब 3 वर्षों बाद (19.01.2011) इसकी सूचना सरकार को देना।

आरोप सं०– 03

i) Possibilities of misalignment of embedded parts.

ii) Gate Hoist are not provided with position indicator.

iii) Gate Hoisting system was found to be defective.

iv) Weight of gate is about 1.5 ton and provision of additional load for self closing 1.5 ton ballast has also been made in the design calculation but only about 300 kg. ballast was provided.

आरोप सं०– 04

एकरारनामा के अनुरूप गेट के संचालन एवं रख–रखाव की जिम्मेवारी तीन वर्षों तक संवेदक को करने एवं इसके बाद अग्रधन की राशि वापस होनी थी, परन्तु अवहेलना करते हुए अग्रधन की राशि वापस करना।

आरोप सं०– 05

उपर्युक्त लापरवाही से 28,24,154.00X1/3 अर्थात रू० 9,41,385.00 का अपव्यय किया गया।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया, परन्तु विभागीय समीक्षा में आरोप सं०–04 योजनान्तर्गत संवेदक द्वारा जमा की गई अग्रधन की राशि को निर्धारित अवधि तीन वर्ष के पूर्व विमुक्त करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से एवं आरोप सं०–1 एवं 2 योजना गेट के ऑपरेटिंग नहीं होने तथा उसके अवयवों की चोरी हो जाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दोषी पाते हुए पेंशन से 10% की कटौती सदा के लिए करने के दण्ड प्रस्ताव के साथ विभागीय पत्रांक– 2474 दिनांक– 06.08.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा किया गया।

3. श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा से स्पष्ट हुआ कि उन्होंने स्वयं कहा है कि अग्रधन की राशि (निवेदित राशि का 5%) जो बैंक गारण्टी के रूप में जमा रहती है को उन्होंने तीन वर्ष के पूर्व विमुक्त किया और इसके स्थान पर विपत्र से काटी जानी वाली Security money (निवेदित राशि का 5%) को रोका गया। इस प्रकार यह पाया गया कि इनके द्वारा निर्धारित प्रावधान का उल्लंघन किया गया। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया कि इस योजना के लिए EoI प्रकाशित की गई थी, जिसमें अग्रधन की राशि जमानत की राशि में स्थानान्तरित हो जाने के फलस्वरूप कुल निविदित राशि का 10% यानि 2,42,416/– तीन साल तक (Defect Liability Period) तक रोक कर रखी जानी थी, परन्तु इसका पालन नहीं किया गया।

यह भी पाया गया कि अंतिम भुगतान (जनवरी 2008) एक माह के अन्दर ही गेट ठीक ढंग से संचालित नहीं हो रहा हैं और गेट से पानी का रिसाव हो रहा है, संवेदक को मरम्मति हेतु कहा गया परन्तु लगभग एक सप्ताह के बाद ही कुछ अवयवों के चोरी हो जाने का पक्ष रखते हुए संवेदक द्वारा मरम्मति नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि चोरी गये समानों का आकलन मात्र मूल्य रू० 55 हजार किया गया था, परन्तु संवेदक से मरम्मति नहीं कराया जा सका फिर भी संवेदक को राशि विमुक्त कर दी गई।

अतएव, सम्यक समीक्षोपरान्त द्वितीय कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोप के लिए श्री हृदय नारायण सिंह को निम्न दण्ड देने का निर्णय लिया गया है :–

(i) पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की कटौती सदा के लिए।

उक्त निर्णय पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

एतद् द्वारा सरकार के उक्त निर्णय को संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 4656 राँची/दिनांक 02/11/18

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), वीरचन्द पटेल मार्ग, आर० ब्लॉक, बिहार, पटना–80001/उप सचिव (प्र०), जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/मुख्य अभियंता, यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, सिंचाई यांत्रिक प्रमण्डल, जल संसाधन विभाग, राँची/श्री हृदय नारायण सिंह, से०नि० कार्यपालक अभियंता, अन्नपूर्णा कुटीर, मुस्लिम हॉस्टेल के सामने वार्ड नं०–07, भभुआ जिला–कैमूर, पिन–821101 (बिहार) /श्री हृदय नारायण सिंह, से०नि० कार्यपालक अभियंता, फ्लैट नं०–302, अंकाक्षा अपार्टमेंट खादगढ़ा बस स्टैण्ड, डाकघर–काँटाटोली, झारखण्ड, राँची पिन–834001/ वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2/11/18

(रमेश कुमार दूबे)
सरकार के विशेष सचिव